

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 69 सन 2022

अनवान :-

1. जीतराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी जबरारसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 30/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250हैक भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम जीतराम पुत्र भादरराम दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड रणजीत पुत्र भादरराम की जगह जीतराम पुत्र भादरराम संशोधित करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम जीतराम पुत्र भादरराम नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय जीतराम पुत्र भादरराम के स्थान पर रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाकर जीतराम पुत्र भादरराम संशोधन करवाने का अधिकारी है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250हैक भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा में प्रार्थी का नाम रणजीत के स्थान पर जीतराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सयुक्त के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250हैक भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम जीतराम पुत्र भादरराम दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड रणजीत पुत्र भादरराम की जगह जीतराम पुत्र भादरराम संशोधित करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम दस्तावेजात आधार कार्ड , पैनकार्ड , राशन कार्ड , पहचान पत्र, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम जीतराम पुत्र भादरराम नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड तैयार करते रामय जीतराम पुत्र भादरराम के स्थान पर रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज हुआ है जिसे संशोधन करवाकर जीतराम पुत्र भादरराम संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये।

पेरोकार राज ने अपनी बहरा में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निरतारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहरा सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250हैव भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जीतराम पुत्र भादरराम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम जीतराम पुत्र भादरराम है जो उक्त सभी दस्तावेजात में दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में रणजीत दर्ज है जिसे संशोधित करवाना चाहते है व अपने कथनो के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम जीतराम होना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का नाम संशोधन के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात / तहसीलदार पेरोकार राज को ऐतराज नहीं होने के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250हैव भूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है के स्थान पर रणजीत उर्फ जीतराम पुत्र भादरराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/09/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)
नाहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 69/2022 अनवानी जीतराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. जीतराम पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी जबरारसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 69/2022 अनवानी जीतराम बनाम सरकार में दिनांक 30/09/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 365/364 की कुल 6.5250 हैक् बूमि जिसमें प्रार्थी सयुक्त रूप से 4762/6522 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रणजीत पुत्र भादरराम दर्ज है के स्थान पर रणजीत उर्फ जीतराम पुत्र भादरराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर (हनुमानगढ़)